मुंबई पत्तन प्राधिकरण की व्हिसिल ब्लोअर नीति

भारत सरकार ने दि. 21.04.2004 की राजपत्र अधिसूचना सं. 371/12/2002-एवीडी-III के माध्यम से दि. 29.04.2004 के शुद्धिपत्र के संबंध में जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प 2004 को अधिसूचित किया और डीओपीटी के दि. 14.08.2013 की अधिसूचना सं. 371/4/2013-एवीडी III ने पीआईडीपीआई संकल्प 2014 में आंशिक रूप से संशोधन किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी भी मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या अधिकार का जानबूझकर दुरुपयोग या निर्णय क्षमता का जानबूझकर दुरुपयोग के किसी भी आरोप के खुलासे से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया और ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक मामलों की जानकारी, इस प्रकार है:

i) केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम, सरकार द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी निगम या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियां, सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत या प्रकटीकरण के लिए "नामित एजेंसी" के रूप में अधिकृत किया गया है।

ii) इस नीति के तहत की जाने वाली किसी भी शिकायत को निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना चाहिए :

ए. शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

बी. लिफाफे को सचिव, मुख्य सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए और उस पर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए। यदि लिफाफे पर ऊपर लिखा और बंद नहीं किया गया है, तो 'नामित प्राधिकारी' के लिए पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के तहत शिकायतकर्ता की रक्षा करना संभव नहीं होगा और शिकायत को एमबीपीए की सामान्य शिकायत नीति के तहत निपटाया जाएगा। शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में देना चाहिए।

सी. किसी भी गुमनाम/छद्मनाम शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

डी. शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न मिले। हालाँकि, प्रकटीकरण या शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए और इसमें यथासंभव पूर्ण विवरण शामिल होना चाहिए और सहायक दस्तावेजों या अन्य सामग्रियों के साथ होना चाहिए।

ई. व्यक्ति की पहचान की रक्षा के लिए, 'नामित प्राधिकारी' कोई पावती जारी नहीं करेगा और मुखबिरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में 'नामित प्राधिकारी' के साथ कोई और पत्राचार न करें। नामित प्राधिकारी, मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने के अधीन, पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के तहत प्रदान की गई आवश्यक कार्रवाई करेगा।

एफ. 'नामित प्राधिकारी' उक्त संकल्प के तहत **इरादतन** /परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले व्हिसल ब्लोअर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।

iii) पीआईडीपीआई नीति का विवरण, सीवीसी वेबसाइट पर परिपत्र और अभिलेख (दि. 24.12.2021 का परिपत्र सं. 25/12/21) के तहत उपलब्ध है। एमबीपीए की व्हिसल ब्लोअर नीति और समय-समय पर संशोधित सीवीसी की पीआईडीपीआई नीति में किसी भी विसंगति के मामले में, सीवीसी परिपत्र के अनुसार या समय-समय पर संशोधित नीति मान्य होगी।

iv) यदि एमबीपीए के सतर्कता कार्यालय में पीआईडीपीआई के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे **बिना खोले सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जाएगी**।